



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH-187436

04 AUG 2023



(प्रारूप-"अ") शपथ-पत्र

हम मोहन उपाध्याय एवं सोहन उपाध्याय क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव मदन सेवा समिति एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, रुद्रपुर, जिला- देवरिया, उ०प्र० शपथ पूर्वक बयान करते हैं :-

1. यह कि हमारे ट्रस्ट द्वारा राम गोपाल शुक्ला कालेज ऑफ फार्मसी, रुद्रपुर, जिला-देवरिया, उ०प्र० नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारे ट्रस्ट के नाम से रुद्रपुर, जिला-देवरिया, उ०प्र० के गाटा संख्या 36/1 MI, 37 MI, 360 MI, एवं 361/1 MI में कुल रकबा 0.3074 हे० भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूगि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 36/1 MI, 37 MI, 360 MI, एवं 361/1 MI रकबा 0.3074 हे० पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 14.07.2022 द्वारा प्रारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

ATTESTED  
Sworn & Verified  
Before Me.

R.C. VERMA  
(Advocate)

NOTARY

Lucknow (U.P.) INDIA

Date.....

02/

मोहन उपाध्याय  
चेयरमैन/सेक्रेटरी  
मदन सेवा समिति & चैरिटेबल ट्रस्ट  
देवरिया



6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर भवनों पर फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्थान में फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट/सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून, संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

**R.C. VERMA**  
(Advocate)

NOTARY

Lucknow (U.P.)

Date.....

02/09/23

HO अध्यक्ष

I know and identify the deponent who has signed put T.I. before me.

HO सचिव

चेयरमैन/सेक्रेटरी  
मदन सेवा समिति & चैरिटेबल ट्रस्ट  
देवरिया

चेयरमैन/सेक्रेटरी  
मदन सेवा समिति & चैरिटेबल ट्रस्ट  
देवरिया